अध्याय-VIII

एस.पी.एस.ई. के लेखाओं पर सी.ए.जी. की निरीक्षण भूमिका

अध्याय–VIII

एस.पी.एस.ई. के लेखाओं पर सी.ए.जी. की निरीक्षण भूमिका

8.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक प्रतिवेदन निर्गत या उस पर टिप्पणी निर्गत करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अनुसार अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन राज्य की विधायिका को प्रस्तुत किया जाए।

8.2 सी.ए.जी. द्वारा एस.पी.एस.ई. के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के मामले में वित्तीय वर्ष शुरु होने से 180 दिनों की अवधि के अन्तर्गत सी.ए.जी. द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को नियुक्त किया जाता है।

8.3 एस.पी.एस.ई. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

8.3.1 ससमय प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और उसे यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) आयोजित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए.जी.एम. और अगले ए.जी.एम. की तारीख के मध्य 15 महीनों से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, 31 दिसम्बर 2020 तक विभिन्न एस.पी.एस.ई. के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी कंडिकाओं में दिये गये है।

8.3.2 राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक, सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में, 72 राज्य सरकार की कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगमें और चार सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (कुल 79 एस.पी.एस.ई.) थी। इनमें से वर्ष 2019–20 का लेखा राज्य सरकार की सभी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से प्राप्य थे। राज्य सरकार की कुल दो[222] कम्पनियों ने वर्ष 2019–20 के लिए अपनी लेखा 31 दिसम्बर 2020 को या उससे पहले सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था। शेष 70 राज्य सरकार की कम्पनियों, तीन सांविधिक निगमों और चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (कुल 77 एस.पी.एस.ई.) का लेखा विभिन्न कारणों से बकाया (अप्राप्त) थे।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, सी.ए.जी. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार राज्य भण्डारण निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और सी.ए.जी. द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

31 दिसम्बर 2020 तक बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2019–20 के लेखे, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के लेखे और बिहार राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के लेखे प्रतिक्षित थे।

31 दिसम्बर 2020 तक एस.पी.एस.ई. के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण **तालिका 8.1** में दिया गया है :

तालिका 8.1
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ/सांविधिक निगमों			
	सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	कुल
31 मार्च 2020 तक सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत एस.पी.एस.ई. की कुल संख्या	72	04	03	79
घटाव : एस.पी.एस.ई. के नए उद्यम जिनसे 2019–20 के लेखे देय नहीं थे	-	-	-	-
एस.पी.एस.ई. की संख्या जिनसे वर्ष 2019–20 के लिए लेखे देय (बकाया) थे	72	04	03	79
एस.पी.एस.ई. की संख्या जिन्होंने 31 दिसम्बर 2020 तक सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2019–20 के लिए लेखे प्रस्तुत किए	02	-	-	02

[222] *नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।*

विवरण		सरकारी कम्पनियाँ / सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ / सांविधिक निगमों			
		सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	कुल
31 दिसम्बर 2020 तक बकाया लेखाओं वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या		70	04	03	77
बकाया लेखाओं की संख्या		1,284	08	11	1,303
बकाया के ब्यौरे	(i)परिसमापनाधीन	101	-	-	101
	(ii) अकार्यशील	1,065	-	-	1,065
	(iii) अन्य	118	08	11	137
'अन्य' श्रेणी के विरूद्ध बकाया का अवधि–वार विश्लेषण	एक वर्ष (2019–20)	10	01	01	12
	दो वर्ष (2018–19 और 2019–20)	12	04	-	16
	तीन वर्ष और अधिक	96	03	10	109

इन कम्पनियों के नाम ***परिशिष्ट 8.1अ*** में दर्शाये गये हैं।

8.4 सी.ए.जी. का निरीक्षण – लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

8.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप और लेखांकन मानकों हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों द्वारा सी.ए.जी. के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे नियमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार किया जाना अपेक्षित होता है।

8.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा एस.पी.एस.ई. के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उनपर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सी.ए.जी. इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी द्वारा निरीक्षक की भूमिका निभाते है। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है :

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

8.4.3 एस.पी.एस.ई. के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी उस इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सी.ए.जी. द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सी.ए.जी. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित राज्य सरकार की कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सी.ए.जी. द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत ए.जी.एम. के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

8.5 सी.ए.जी. की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

8.5.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अर्न्तगत एस.पी.एस.ई. के लेखाओं की लेखापरीक्षा

31 दिसम्बर 2020 तक वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरण राज्य सरकार की दो[223] कम्पनियों से प्राप्त हो गए थे। राज्य सरकार की कम्पनियों के इन दो लेखाओं की समीक्षा सी.ए.जी. के द्वारा की गई है। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत है :

8.5.2 एस.पी.एस.ई. पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक के रूप में जारी सी.ए.जी. की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 के दौरान 30 लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की उनके द्वारा लेखापरीक्षा के बाद अग्रेषित किया गया। सी.ए.जी. द्वारा छः लेखाओं पर गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र (एन.आर.सी.) जारी की गई और शेष एस.पी.एस.ई. के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक, सी.ए.जी. ने 13 लेखाओं पर अस्वीकरण और सात लेखाओं पर टिप्पणी जारी की।

इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. की सूची जिन पर टिप्पणियाँ जारी की गई थी, उसे **तालिका 8.2** में दर्शाया गया है :

तालिका 8.2
इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. की सूची जहाँ सी.ए.जी. द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई थी

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	लेखा का वर्ष
1	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18

[223] *बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।*

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	लेखा का वर्ष
3	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18
4	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18
6	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2018-19

सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 2,238.28 करोड़ तथा सम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 4,949.14 करोड़ था, को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

अ. लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणियाँ
1	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	• परियोजना प्रबंधन सलाहकार मेसर्स इप्टिसा द्वारा 23 मार्च 2018 को प्रस्तुत किये गये जनवरी से मार्च 2018 के महीनों के लिए ₹ 1.20 करोड़ के विपत्र का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अन्य चालू दायित्वों के साथ–साथ वर्ष के लिए हानि ₹ 1.20 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया था।
2	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (2017-18)	• वर्ष 2017–18 के दौरान केवल ₹ 7.75 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में अर्जित की गई है और उस राशि को अप्रयुक्त परियोजना के परियोजना निधि में जमा की गई है। हालाँकि ₹ 7.75 करोड़ के बजाय, ₹ 23.91 करोड़ ब्याज की राशि को वित्त लागत और ब्याज के रूप में अन्य आय के तहत लाभ और हानि खाता के विवरण में दर्शाया गया। चूँकि ब्याज परियोजना निधि से संबंधित है, इसे कम्पनी के राजस्व और व्यय के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए व्यय और राजस्व को ₹ 16.16 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया था। • कम्पनी ने मार्च 2018 तक 'बुनियाद केन्द्र निर्माण परियोजना' पर सेन्टेज के रूप में ₹ 5.23 करोड़ (पाँच प्रतिशत की दर से) के बजाय ₹ 7.22 करोड़ (सात प्रतिशत की दर से) दर्ज किया है। इसके परिणामस्वरूप लाभ ₹ 1.89 करोड़, संचय एवं अधिशेष ₹ 0.10 करोड़ तथा कार्य–प्रगति को ₹ 1.99 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया था।

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणियाँ
		• वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में अर्थात 31.03.2018 को परिसंपत्तियों को कम्पनी के लेखाओं में प्रावधानित करने में विलंब के परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 1.96 करोड़ और वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 1.60 करोड़ से मूल्यह्रास कम भारित हुआ जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹ 1.96 करोड़, संचय और अधिशेष को ₹ 1.60 करोड़ और अचल संपत्तियों को ₹ 3.56 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया था।
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2016-17)	• कॉस्ट प्लस के आधार पर निष्पादित कार्यों पर अनुबंध व्यय का गलत लेखांकन के कारण संचालन से प्राप्त राजस्व और अनुबंध व्यय को ₹ 1,347.49 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया। • कम्पनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 22.89 करोड़ और पिछले वर्षों में ₹ 27.44 करोड़ की अतिरिक्त सेंटेज आय अस्वीकार्य लागत घटकों पर दर्ज किया जिसके परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व ₹ 22.89 करोड़, संचय एवं अधिशेष ₹ 27.44 करोड़ और स्टॉक ₹ 50.32 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया। • कम्पनी के बचत बैंक खातों में रखी गई परियोजना निधि की आधिक्य राशि पर अर्जित ब्याज आय का गलत लेखांकन करने के परिणामस्वरूप कम्पनी की अन्य आय के साथ–साथ व्यय (वित्त लागत) ₹ 16.68 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।
4	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2017-18)	• कॉस्ट प्लस आधार पर निष्पादित कार्यों पर अनुबंध व्यय को गलत लेखांकन के कारण संचालन से प्राप्त राजस्व और अनुबंध व्यय को ₹ 723.84 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया। • कम्पनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 11.40 करोड़ और पिछले वर्षों में ₹ 50.32 करोड़ की अतिरिक्त सेंटेज आय अस्वीकार्य लागत घटकों पर दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व ₹ 11.40 करोड़, संचय एवं अधिशेष ₹ 50.32 करोड़ और स्टॉक ₹ 61.72 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया। • कम्पनी ने अपने व्यय में माइनस मद (क्रेडिट) के रूप में ₹ 4.04 करोड़ की पूर्व अवधि की परियोजना आय का गलत तरीके से लेखांकन किया और इसके विरूद्ध अन्य चालू दायित्वों (प्रोजेक्ट फंड) को डेबिट कर दिया, जिसके परिणास्वरूप अन्य चालू दायित्वों (कार्य के विरूद्ध अग्रिम) और लाभ को ₹ 8.08 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया।

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणियाँ
		• कम्पनी ने अपने बचत बैंक खातों में निवेश की गई अधिशेष परियोजना निधि पर अर्जित ₹6.30 करोड़ की ब्याज आय को वित्त लागत (ब्याज–परियोजना अग्रिम) में नामे करके गलत लेखांकन किया, जिसके परिणास्वरूप कम्पनी की अन्य आय के साथ–साथ व्यय (वित्त लागत) को उतनी ही राशि से अधिक प्रतिवेदित किया गया।
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	• वर्ष 2017–18 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि पर ₹0.08 करोड़ की अर्जित ब्याज की राशि को सी.एस.आर. निधि में ही जमा की जानी चाहिए थी क्योंकि कम्पनी ने इसके लिए एक अलग बैंक खाता रखा है। तथापि कम्पनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्य आय को अधिक बताया गया और सी. एस.आर. निधि को ₹0.08 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया।
6	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (2018-19)	• केन्दू के पतों की बिक्री से प्राप्त ₹ 15.51 करोड़ की सावधि जमा पर ₹ 0.86 करोड़ का प्राप्त ब्याज अन्य आय के बजाय ''चालू दायित्वों'' शीर्ष के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ''अन्य आय'' को ₹ 0.86 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया और ''चालू दायित्वों'' को ₹ 0.86 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया।

ब. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणी
1	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	• कम्पनी के प्रारम्भिक व्ययों, जिसे पटना नगर निगम (पी.एम.सी.) द्वारा वहन किया गया, के सम्बन्ध में पी. एम.सी. को देय राशि के विरूद्ध निर्गत किए गए अंशों के लिए बिहार सरकार से प्राप्य ₹ पाँच लाख का समायोजन कर लेने के कारण अन्य दीर्घकालीन देयताएँ और अन्य चालू परिसंपत्तियाँ ₹ पाँच लाख से कम प्रतिवेदित की गई।

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणी
		• 15 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 के दौरान कम्पनी के लिए पटना नगर निगम द्वारा लिए गए अतिरिक्त कार्यालय स्थान के लिए देय किराए के रूप में ₹ 9.56 लाख का प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप चालू दायित्वों के साथ–साथ इस वर्ष के लिए हानि ₹ 9.56 लाख से कम प्रतिवेदित की गई।
2	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (2017-18)	• विभागों को पूर्ण एवं सौंपे गये कार्यों की राशि से सम्बन्धित ₹ 1,081.06 करोड़ का सम्बन्धित विभाग से प्राप्त निधि से समायोजन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कार्य–प्रगति के साथ–साथ अन्य गैर–चालू दायित्वों को ₹ 1,081.06 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2016-17)	• निर्धारित परियोजनाओं/कार्यों के लिए प्राप्त निधि के प्रति किए गए व्यय से संबंधित ₹ 1,917.66 करोड़ का समायोजन नहीं करने के परिणामस्वरूप चालू आस्तियाँ (इन्वेंटरी) के साथ–साथ अन्य चालू दायित्वों को ₹ 1,917.66 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।
4	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2017-18)	• निर्धारित परियोजनाओं/कार्यों के लिए प्राप्त निधि के प्रति किए गए व्यय से संबंधित ₹ 1,917.66 करोड़ का समायोजन नहीं करने के परिणामस्वरूप चालू आस्तियाँ (इन्वेंटरी) के साथ–साथ अन्य चालू दायित्वों को ₹ 1,917.66 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	• 2017–18 की अवधि के दौरान प्राप्त ₹ 6.99 करोड़ के कार्य बिलों का उसी वर्ष में उपार्जन आधार पर लेखांकन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्य–प्रगति (अन्य चालू परिसंपत्तियाँ) ₹ 7.48 करोड़ (सात प्रतिशत की दर पर सेंटेज सहित), व्यापार देय (चालू दायित्वों) ₹ 6.99 करोड़ और सेंटेज आय ₹ 0.49 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया। • ₹ 25.79 करोड़ अग्रिम आयकर के रूप में भुगतान की गई कुल राशि में से आयकर विभाग द्वारा वापस की गई ₹ 23.82 करोड़ की राशि के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप अन्य चालू दायित्वों और अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों को ₹ 23.82 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणी
6	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (2018-19)	• वर्ष 2018–19 के दौरान जब्त की गई सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 1.23 करोड़ के गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप ''अन्य चालू दायित्वों'' को ₹ 1.23 करोड़ से अधिक और ''अल्पकालिक प्रावधान'' को उतने से ही कम प्रतिवेदित किया गया। • सिटी मौर्य केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधि के लिए ₹ 8.33 लाख की वापसी राशि के गैर–समायोजन के परिणामस्वरूप ''चालू दायित्वों'' और ''नकद एवं नकद समतुल्य'' को ₹ 8.33 लाख से अधिक प्रतिवेदित किया गया।

स. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (2017-18)	• कम्पनी ने पटना कलेक्ट्रेट द्वारा राजवंशी नगर में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ₹ 12.04 करोड़ (सलामी) और ₹ 6.02 लाख प्रति वर्ष (लगान) की राशि की माँग (06 अप्रैल 2014) को लेखांकन मानक 29 के प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं के अंतर्गत नहीं दर्शाया। इसके अलावा, 31 मार्च 2018 तक 26 अदालती मामले लंबित थे जिन्हें भी आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दिखाया गया था। • किराये की आय के रूप में ₹ 3.73 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि को ''लेखाओं पर टिप्पणियों'' में प्रकट किया जाना चाहिए था लेकिन कम्पनी इसका प्रकटीकरण करने में विफल रही। • कम्पनी उन परियोजनाओं पर पुरानी दरों से सेन्टेज वसूल कर रही है जो अधिसूचना की तारीख यानी 25 जनवरी 2016 से पहले निविदा की गई, लेकिन अधिसूचना की तारीख के बाद निष्पादित की गई थी। हालाँकि, इस सम्बन्ध में निदेशक मंडल से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया है और इसे प्रकट भी नहीं किया गया है।

क्रम सं0	एस.पी.एस.ई. का नाम	टिप्पणियाँ
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2016-17)	• वर्ष के दौरान, कम्पनी ने हुडको ऋण पर ₹ 4.73 करोड़ के ब्याज को गंगापथ परियोजना के अनुबंध व्यय में डेबिट करके लेखाओं में प्रावधानित किया है। कम्पनी ने, न तो लेखांकन नीति अपनाई और न ही वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में उधार लागत पर लेखांकन मानक 16 के अनुसार लेखाओं में प्रावधानित उधार लागत (ब्याज) की राशि का प्रकटीकरण किया है। • कम्पनी ने लेखांकन मानक 29 के अनुपालन में ''लेखाओं पर टिप्पणियों'' में संवेदकों के पक्ष में विवाचन के अंतिम निर्णय से सम्बन्धित ₹ 214.29 करोड़ की राशि का आकस्मिक देनदारियों में प्रकटीकरण नहीं किया। इसके अलावा, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में इसकी टिप्पणी नहीं की गई।
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2017-18)	• वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 31 में कहा गया है कि गंगा पथ परियोजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर ब्याज परियोजना की लागत में डेबिट किया गया है। उपरोक्त नोट अपूर्ण है क्योंकि यह परियोजना की लागत (लेखाओं में प्रावधानित) में डेबिट की गई ब्याज की राशि को प्रकट नहीं करता है जो कि लेखांकन मानक 16 के कंडिका 23 के तहत आवश्यक है।

8.5.3 सांविधिक निगम

तीन सांविधिक निगमों में से, किसी भी निगम ने 2019–20 के अपने लेखाओं को 31 दिसम्बर 2020 तक अंतिमीकरण और अग्रेषित नहीं किया है। इन सांविधिक निगमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण और लेखाओं के बकाया के बारे में विवरण **तालिका 8.3** में संक्षेपित किया गया है :

तालिका 8.3
सांविधिक निगमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण और लेखाओं के बकाया की स्थिति

क्रम सं0	निगम का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम लेखाओं का वर्ष	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड	परिवहन	2014-15	2015-16 to 2019-20	05
2.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	2014-15	2015-16 to 2019-20	05
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग	2018-19	2019-20	01

8.6 लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कम्पनी अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक एक से सात और नौ से 29 निर्धारित किया है। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानक अधिसूचित किये हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/भारतीय लेखा मानकों का पालन नहीं किया जिसे ***परिशिष्ट–8.1ब*** में दर्शाया गया है। जैसा कि परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात एस.पी.एस.ई. द्वारा लेखांकन मानकों के गैर–अनुपालन के लगभग 33 मामलों और पाँच एस.पी.एस.ई. द्वारा भारतीय लेखा मानकों के गैर–अनुपालन के नौ मामलों को प्रतिवेदित किया है।

पटना (रामावतार शर्मा)
दिनांकः 13 दिसंबर 2021 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (गिरीश चंद्र मुर्मू)
दिनांकः 15 दिसंबर 2021 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**